जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./18/डी– 689   दिनांकः– 23-7-18

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **144वीं बैठक दिनांकः** 19.07.2018 **को प्रातः** 11.00 **बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"मंथन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		144:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 143वीं बैठक दिनांक 28.05.18 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 128वीं से 143वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 143वीं बैठक दिनांक 28.05.18 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 128 से 143 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा अवशेष अनुपालना रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुये शेष प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिये गये।
2.	4	144:2	दी इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्टस् राजस्थान चेप्टर को इंस्टीट्यूट भवन हेतु व्यावसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग योजना, जगतपुरा बाईपास, जवाहर सर्किल के पास के उपविभाजित भूखण्ड संख्या 8ए क्षेत्रफल 1058.58 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–4 द्वारा दी इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्टस् राजस्थान चेप्टर को इंस्टीट्यूट भवन "Learning Resource Centre" हेतु जोन–4 क्षेत्राधिकार की व्यावसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग योजना, जगतपुरा बाईपास, जवाहर सर्किल के पास के उपविभाजित भूखण्ड संख्या 8ए क्षेत्रफल 1058.58 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति में उक्त उद्देश्य हेतु भूमि आवंटन का प्रावधान व मापदण्ड निर्धारित नहीं है। संस्था द्वारा Research and Development Centre हेतु आवंटन का निवेदन किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 8.1 में उक्त प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन का प्रावधान वर्णित है। बिन्दु संख्या 8.5 में "उक्त प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन का निर्णय अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिया जावेगा" का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर संस्था को Research and Development Centre हेतु उक्त भूखण्ड संख्या 8ए क्षेत्रफल 1058.58 वर्गमीटर संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने की अभिशंषा सहित प्रकरण अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति को भिजवाने का निर्णय लिया गया।
3.	4	144:3	राजस्थान प्रगतिशील खटीक समाज समिति को समाजोत्थान एवं स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग योजना, जगतपुरा बाईपास, जवाहर सर्किल के पास के उपविभाजित भूखण्ड संख्या 8 क्षेत्रफल 1060 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–4 द्वारा राजस्थान प्रगतिशील खटीक समाज समिति को समाजोत्थान एवं स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जोन–4 क्षेत्राधिकार की व्यावसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग योजना, जगतपुरा बाईपास, जवाहर सर्किल के पास के उपविभाजित भूखण्ड संख्या 8 क्षेत्रफल 1060 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति में उक्त उद्देश्य हेतु भूमि आवंटन का प्रावधान व मापदण्ड निर्धारित नहीं है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर संस्था को समाजोत्थान एवं स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उक्त भूखण्ड संख्या 8 क्षेत्रफल 1060 वर्गमीटर संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने की अभिशंषा सहित प्रकरण निर्णयार्थ राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

4.	8	144:4	पाक विस्थापित 5 परिवारों को गोविन्दपुरा योजना में आवंटित भूखण्डों की दर के संबंध में पुनर्विचार बाबत।	एलपीसी की 125वीं बैठक दिनांक 29.06.16 में पाक विस्थापित 5 परिवारों को गोविन्दपुरा योजना में प्रत्येक को 40.5 वर्गमीटर का एक–एक भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। जिसके क्रम में उपायुक्त द्वारा आवासीय आरक्षित दर 8000/– रूपये प्रति वर्गमीटर की राशि से आवंटन/मांग पत्र जारी किया गया था। प्रार्थी श्री बगनमल व अन्य द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्डों का आवंटन ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के अनुसार आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत पर कर संशोधित मांग पत्र जारी करने हेतु निवेदन किया है। पूर्व में भी पाक विस्थापित परिवारों को 45 वर्गमीटर तक के भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत पर आवंटन किये गये हैं। राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17 के प्रावधानों व एलपीसी की बैठक में लिये गये निर्णयों के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में दर के संबंध में पुनर्विचार हेतु वित्त प्रकोष्ठ से पैरा 654/एन से 660/एन पर प्राप्त राय के अनुसार 45 वर्गमीटर तक के भूखण्डों को दो श्रेणियों में आरक्षित दर से कम दर पर आवंटन किया जाना उचित माना है। उपायुक्त द्वारा दर पर पुनर्विचार हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एलपीसी की 125वीं बैठक दिनांक 29.06.16 के प्रस्ताव संख्या 125:18 में आवासीय आरक्षित दर के स्थान पर आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि लिये जाने का निर्णय लिया गया। संशोधित आवंटन पत्र जारी करने से पूर्व आवंटी से आय संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे।
5.	10	144:5	पाक विस्थापित 4 परिवारों को सुमेल योजना में आवंटित भूखण्डों की दर के संबंध में पुनर्विचार बाबत।	एलपीसी की 141वीं बैठक दिनांक 23.01.18 में पाक विस्थापित 4 परिवारों को सुमेल योजना में प्रत्येक को 45 वर्गमीटर का एक–एक भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर जरिये लॉटरी भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। जिसके क्रम में उपायुक्त द्वारा दिनांक 13.03.18 को वर्तमान आवासीय आरक्षित दर 8000/– रूपये प्रति वर्गमीटर की राशि से आवंटन/मांग पत्र जारी किया गया था। प्रार्थी श्री दिलीप सिंह द्वारा माननीय मंत्री महोदय, नविवि को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवंटन/मांग पत्र की राशि 25 प्रतिशत पर करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी के प्रार्थना पर विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय द्वारा "Please put up proposal as per disposal rules at competent level" के आदेश दिये हैं। पूर्व में भी पाक विस्थापित परिवारों को 45 वर्गमीटर तक के भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत पर आवंटन किये गये हैं। प्रार्थी के प्रार्थना पर विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आदेशों, राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17 के प्रावधानों व एलपीसी की बैठक में लिये गये निर्णयों के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में दर के संबंध में पुनर्विचार हेतु वित्त प्रकोष्ठ से पैरा 377/एन से 382/एन पर प्राप्त राय के अनुसार 45 वर्गमीटर तक के भूखण्डों को दो श्रेणियों में आरक्षित दर से कम दर पर आवंटन किया जाना उचित माना है। उपायुक्त द्वारा दर पर पुनर्विचार हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एलपीसी की 141वीं बैठक दिनांक 23.01.18 के प्रस्ताव संख्या 141:7 में आवासीय आरक्षित दर के स्थान पर आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि लिये जाने

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
प्राधिकरण, जयपुर

				का निर्णय लिया गया। संशोधित आवंटन पत्र जारी करने से पूर्व आवंटी से आय संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे।
6.	10	144:6	प्रार्थी श्री पूरण मल सामरिया को पालडीमीणा योजना के भूखण्ड संख्या ई–380 क्षेत्रफल 40 वर्गमीटर, ई–381 क्षेत्रफल 40 वर्गमीटर व ई–383 क्षेत्रफल 40 वर्गमीटर के स्थान पर भूखण्ड संख्या बी–726 का विनिमय किये जाने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्ताव निरस्त किया गया।
7.	11	144:7	श्री दौलतराम, महिपाल सिंह, रमेशचन्द, परमानंद, रामनिवास, अजयसिंह पि. घनश्याम को सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस–1121 का आवंटित क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 15 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्री दौलतराम, महिपाल सिंह, रमेशचन्द, परमानंद, रामनिवास, अजयसिंह पि. घनश्याम को सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस–1121 क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 15 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। प्रार्थी द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल की राशि जमा कराने हेतु सहमति प्रस्तुत की है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 में सेज योजना के कॉर्नर भूखण्डों में बढा हुआ क्षेत्रफल होने पर आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.10.13 के क्रम में भूखण्ड संख्या एस–1121 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 15 वर्गमीटर योजना की वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में कॉर्नर चार्जेज वसूल किया जावें।
8.	12	144:8	अधिशाषी अभियंता, परियोजना खण्ड–द्वितीय (उत्तर), जयपुर को ग्राम भांकरोटा कलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 840 किस्म चरागाह में से 1000 वर्गमीटर आरक्षित भूमि को आवंटन करने बाबत।	एलपीसी की भूमि चरागाह होने से विभाग हेतु ग्राम भांकरोटा कलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 840 किस्म चरागाह में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में चरागाह भूमि के आवंटन पर रोक नहीं है। अतः उपायुक्त जोन–12 द्वारा उक्त भूमि आरक्षण के स्थान आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.16 के अनुसरण में विभाग को ग्राम भांकरोटा कलां के खसरा नं. 840 में से 1000 वर्गमीटर भूमि ई.एस.आर. हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
9.	12	144:9	श्रीमती पांची देवी पत्नी श्री नवलकिशोर यादव को निजी खातेदारी की आवासीय योजना ग्रीन त्रिवेणी में ई. डब्ल्यू.एस. भूखण्ड संख्या 317(सी) का मौके पर क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण ई.डब्ल्यू. एस. श्रेणी से एल.आई.जी. श्रेणी का होने से बढे हुये क्षेत्रफल की राशि ली जाकर भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि श्रीमती पांची देवी पत्नी श्री नवलकिशोर यादव को निजी खातेदारी की आवासीय योजना ग्रीन त्रिवेणी में ई.डब्ल्यू.एस. भूखण्ड संख्या 317(सी) क्षेत्रफल 44.15 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। भूखण्ड का मौके पर 4.49 वर्गमीटर क्षेत्रफल बढ़कर 48.64 वर्गमीटर हो जाने से उक्त भूखण्ड ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के स्थान पर एल. आई.जी. श्रेणी का हो गया, उपायुक्त द्वारा बढ़े हुये क्षेत्रफल को ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी की आवासीय आरक्षित दर ली जाकर आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 317(सी) में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 4.49 वर्गमीटर भूमि एल.आई.जी. श्रेणी

जयपुर विकास प्राधिकरण

				की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
10.	14	144:10	सरंपच, ग्राम पंचायत बीलवा को ग्राम अजयराजपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 157 रकबा 0.49 हैक्टेयर गै0मु0 श्मशान को ग्राम मानपुर नांगल्या एवं अजयराजपुरा के श्मशान हेतु आरक्षित किये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा सरंपच, ग्राम पंचायत बीलवा को ग्राम अजयराजपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 157 रकबा 0.49 हैक्टेयर गै0मु0 श्मशान को ग्राम मानपुर नांगल्या एवं अजयराजपुरा के श्मशान हेतु आरक्षित किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 2.9 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम अजयराजपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 157 रकबा 0.49 हैक्टेयर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। उक्त श्मशान दोनों ग्राम मानपुर नांगल्या एवं अजयराजपुरा के श्मशान हेतु उपयोग में लिया जाना है। अतः उपायुक्त द्वारा भूमि को दोनों ग्रामों हेतु अलग–अलग विभाजित कर दिया जावें।
11.	14	144:11	सचिव, सांगानेर इन्वायरो प्रोजेक्ट डवलपमेंट, सांगानेर को सांगानेर रंगाई छपाई उद्योगों के लिए स्थापित हो रहे सीईटीपी के लिए पम्पिंग स्टेशन हेतु 300 वर्गगज या 250.8381 व.मी. भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा सचिव, सांगानेर इन्वायरो प्रोजेक्ट डवलपमेंट, सांगानेर को सांगानेर रंगाई छपाई उद्योगों के लिए स्थापित हो रहे सीईटीपी के लिए पम्पिंग स्टेशन हेतु ग्राम रघुनाथपुरा उर्फ रातल्या तहसील सांगानेर के खसरा नं. 118 रकबा 1.21 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से 300 वर्गगज या 250.8381 व.मी. भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण में निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुये कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
12.	14	144:12	भूखण्ड संख्या आई–591 क्षेत्रफल 90.00 व.मी., जे–27 क्षेत्रफल 90.00 व.मी. एवं जे–14 क्षेत्रफल 162.00 व.मी. अभिनव विहार विस्तार योजना का राहवन से दौहरा आवंटन हो जाने से विनिमय में अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा अभिनव विहार विस्तार योजना के भूखण्ड संख्या आई–591 क्षेत्रफल 90.00 व.मी., जे–27 क्षेत्रफल 90.00 व.मी. एवं जे–14 क्षेत्रफल 162.00 व.मी. का सहवन से दौहरा आवंटन हो जाने से विनिमय में अन्य भूखण्ड दिये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा श्री कुलदीप शर्मा को आवंटित भूखण्ड संख्या जे–14 के स्थान पर जे–12, जे–13 प्रत्येक क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड, श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा को आवंटित भूखण्ड संख्या जे–27 के स्थान पर जे–22, जे–349 प्रत्येक क्षेत्रफल 90.00 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड व श्रीमती शशी अग्रवाल को आवंटित भूखण्ड संख्या आई–591 के स्थान पर आई–855, आई–866 प्रत्येक क्षेत्रफल 90.00 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय हेतु प्रस्तावित किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त के प्रस्तावानुसार समान माप व समान चौड़ाई की सड़क पर स्थित भूखण्डों में से जरिये लॉटरी एक–एक भूखण्ड विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
13.	4	144:13	अतिरिक्त आयुक्त (तृतीय), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (माडा), जयपुर को कार्यालय भवन निर्माण हेतु ग्राम सवाई गैटोर के संस्थानिक भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 1601.97 वर्गमीटर	एलपीसी की 141वीं बैठक दिनांक 23.01.18 में अतिरिक्त आयुक्त (तृतीय), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (माडा), जयपुर को कार्यालय भवन निर्माण हेतु जविप्रा की आवासीय योजना सिरोली एवं दांतली में उपलब्ध रिक्त संस्थानिक भूखण्ड संख्या आई–2बी क्षेत्रफल 1350 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया था। राज्य

			भूमि आवंटन करने बाबत।	सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.04.18 से निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति दी गई। किन्तु विभाग द्वारा उक्त भूमि शासन सचिवालय से अत्यधिक दूर होने से जोन–4 के सवाई गैटोर में उपलब्ध भूमि आवंटन करने की मांग की गई। उपायुक्त जोन–4 द्वारा अतिरिक्त आयुक्त (तृतीय), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (माडा), जयपुर को कार्यालय भवन निर्माण हेतु ग्राम सवाई गैटोर तह. सांगानेर के खसरा नं. 69 से 74 एवं 77 के संस्थानिक भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 1601.97 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर पूर्व में 141वीं बैठक में किये गये आवंटन को निरस्त कर विभाग को उक्त संस्थानिक भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 1601.97 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।
14.	9	144:14	विकास अधिकारी, पंचायत समिति सांगानेर को ग्राम पंचायत विधाणी के अटल सेवा केन्द्र हेतु क्षेत्रफल 1459.00 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति सांगानेर को रामचन्द्रपुरा संस्थानिक योजना में भूखण्ड संख्या 33 एवं मौके पर निर्मित मन्दिर के मध्य स्थित महल रोड पर निर्मित ग्राम पंचायत विधाणी के अटल सेवा केन्द्र हेतु क्षेत्रफल 1459.00 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्व (ग्रुप–3) विभाग के परिपत्र दिनांक 16.08.10 के अनुसार अटल सेवा केन्द्र (पूर्व में राजीव गांधी ई–सेवा केन्द्र) हेतु पंचायत स्तर पर अधिकतम 250 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 में इस हेतु भूमि आवंटन के कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19.06.17 में नगरीय क्षेत्रों के परिधि क्षेत्रों में आने वाली ग्राम पंचायतों में स्थित आवंटन योग्य सरकारी भूमि/सिवायचक भूमि का 25 प्रतिशत या 15000 वर्गमीटर जो भी कम हो का आवंटन ग्राम पंचायतों को किया जावेगा तथा ग्राम पंचायत उक्त भूमि का उपयोग सार्वजनिक/राजकीय प्रयोजनार्थ कर सकेगी, का प्रावधान किया गया। चूंकि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि पर महानरेगा योजना के अन्तर्गत अटल सेवा केन्द्र बनाया हुआ है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पंचायत को उपरोक्त 1459 वर्गमीटर भूमि का ग्राम पंचायत को आवंटन करते हुये उक्त आदेश के अन्तर्गत दी जाने वाली 15000 वर्गमीटर भूमि में उक्त 1459.00 वर्गमीटर को समायोजित करने का निर्णय लिया गया।
15.	11	144:15	कार्यालय ग्राम पंचायत भापुरा तहसील सांगानेर, जयपुर को ग्राम दौलतपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 228 में श्मशान हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित करने बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत भापुरा तहसील सांगानेर, जयपुर को ग्राम दौलतपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 228 रकबा 7.88 हैक्टेयर में से 1000 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित/सेट अपार्ट करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 2.9 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम दौलतपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 228 में से 1000 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का

आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। उपायुक्त द्वारा भूमि का पी. टी. सर्वे कराया जाकर आरक्षण इस प्रकार किया जावें कि शेष भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके एवं सम्पूर्ण भूमि की प्लानिंग भी कराई जावें।
16.	11	144:16	महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी, जयपुर को ग्राम कलवाडा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 21, 22 व 23 कुल किता 3 रकबा 0.432 हैक्टेयर भूमि रोड़ हेतु आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी, जयपुर को ग्राम कलवाडा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 21 रकबा 0.29 हैक्टेयर में से 0.025 है., खसरा नं. 22 रकबा 0.27 हैक्टेयर में से 0.05 है. व खसरा नं. 23 रकबा 0.66 हैक्टेयर में से 0.357 है. कुल किता 3 रकबा 0.432 हैक्टेयर भूमि रोड़ हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि सेज पुनर्वास योजना कलवाडा को सेज डीटीए–प्रथम क्षेत्र से जोड़ने हेतु मांग की जा रही है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम यह सुनिश्चित किया जावें कि पूर्व में सेज हेतु दी गई भूमि में उक्त भूमि सम्मिलित हैं अथवा नहीं। खसरा नम्बरों से मिलान कराया जावे। उक्त भूमि देने से आस–पास की जविप्रा की भूमि के भविष्य मे उपयोग पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच की जावें। साथ ही प्रकरण का परीक्षण नवीन आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत कराया जाकर उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पत्रावली उपायुक्त को लौटाई जावें।
17.	11	144:17	मैसर्स प्रोपर्टी वेन्चर्स (इंडिया) प्रा.लि. को सेज पुनर्वास योजना कलवाडा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 101 का आवंटित क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 173 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा मैसर्स प्रोपर्टी वेन्चर्स (इंडिया) प्रा. लि. को सेज पुनर्वास योजना कलवाडा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 101 क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 173 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। प्रार्थी द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल की राशि जमा कराने हेतु सहमति प्रस्तुत की है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है।सेज पुनर्वास योजना के नॉन कॉर्नर भूखण्डों में बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में कोई निर्देश नहीं है। अतः नॉन कॉर्नर भूखण्डों में भी कॉर्नर भूखण्डों की भांति कार्यवाही किया जाना उचित मानते हुये समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 101 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 173 वर्गमीटर योजना की वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
18.	11	144:18	मैसर्स प्रोपर्टी वेन्चर्स (इंडिया) प्रा.लि. को सेज पुनर्वास योजना कलवाडा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 424–सी का आवंटित क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा मैसर्स प्रोपर्टी वेन्चर्स (इंडिया) प्रा. लि. को सेज पुनर्वास योजना कलवाडा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 424–सी क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। प्रार्थी द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल की राशि जमा कराने हेतु सहमति प्रस्तुत की है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 में सेज योजना के कॉर्नर भूखण्डों में बढा हुआ क्षेत्रफल होने पर आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.10.13 के क्रम में भूखण्ड संख्या 424–सी में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर योजना की वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त (एल.पी.सी.)
विकास प्राधिकरण, जयपुर

				प्रकरण में कॉर्नर चार्जेज वसूल किया जावें।
19.	12	144:19	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, कुमावतों की ढ़ाणी, रोजदा को ग्राम रोजदा तहसील आमेर में जविप्रा द्वारा सृजित मूर्तिकला विहार योजना के सुविधा क्षेत्र में से 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, कुमावतों की ढ़ाणी, रोजदा को ग्राम रोजदा तहसील आमेर में जविप्रा द्वारा सृजित मूर्तिकला विहार योजना में सुविधा हेतु आरक्षित क्षेत्रफल 26511.84 में से 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय हेतु अधिकतम 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की जा सकती है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभाग को प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, रोजदा हेतु मूर्तिकला विहार योजना, रोजदा में सुविधा क्षेत्र की भूमि में से 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा भूमि का आवंटन इस प्रकार किया जावें कि शेष भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके।
20.	14	144:20	सांगानेर इन्वायरो प्रोजेक्ट डवलपमेंट (एसपीवी), सांगानेर को सांगानेर रंगाई छपाई उद्योगों के लिए स्थापित हो रहे सीईटीपी के लिए स्लज निस्तारण हेतु ग्राम मानपुर टीलावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 712 रकबा 5.14 हैक्टेयर चरागाह में से 3 बीघा या 7587.84 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा सचिव, सांगानेर इन्वायरो प्रोजेक्ट डवलपमेंट (एसपीवी), सांगानेर को सांगानेर रंगाई छपाई उद्योगों के लिए स्थापित हो रहे सीईटीपी के लिए स्लज निस्तारण हेतु ग्राम मानपुर टीलावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 712 रकबा 5.14 हैक्टेयर चरागाह में से 3 बीघा या 7587.84 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति की राय में स्लज निस्तारण हेतु 3 बीघा भूमि आरक्षित की जा सकती है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण में निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुये कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा भूमि का पी.टी. सर्वे करा लिया जावें।
21.	14	144:21	ग्राम पंचायत बाडा पदमपुरा तहसील चाकसू के ग्राम सन्तोषपुरा तहसील चाकसू में श्मशान हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा ग्राम पंचायत बाडा पदमपुरा तहसील चाकसू के ग्राम सन्तोषपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 27 रकबा 7.93 हैक्टेयर में से 2000 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 2.9 के उपबिन्दु IV में श्मशान हेतु भूमि चिन्हित करने व संचालन व रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था को हस्तांतरित करने का प्रावधान वर्णित है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम सन्तोषपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 27 में से 2000 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित रखने व इसके संचालन व रख–रखाव हेतु भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। उक्त भूमि का स्वामित्व जविप्रा का ही रहेगा। उपायुक्त द्वारा भूमि का पी.टी. सर्वे कराया जाकर आरक्षण इस प्रकार किया जावें कि शेष भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके एवं सम्पूर्ण भूमि की प्लानिंग भी कराई जावें।
22.	12	144:22	श्रीमती चेतना सिंह को जविप्रा की आनन्द लोक योजना के भूखण्ड संख्या ए–153 क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर का भूखण्ड कोर्ट केस से प्रभावित होने के कारण अन्य रिक्त/उपलब्ध भूखण्ड नहीं होने के कारण कॉर्नर भूखण्ड आवंटित किये जाने बाबत।	श्री गोविन्द मोहन गुप्ता पुत्र श्री सोहन लाल गुप्ता को जविप्रा की आनन्द लोक योजना के भूखण्ड संख्या ए–153 क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। श्री गुप्ता ने उक्त भूखण्ड के लिये श्री हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह को मुख्त्यार आम नियुक्त किया। श्री हरेन्द्र सिंह ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती चेतना सिंह पत्नी श्री हरेन्द्र सिंह को बेचान कर दिया गया। उक्त भूखण्ड पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण एलपीसी की 87वीं बैठक दिनांक 21.

आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				02.12 में उक्त भूखण्ड के स्थान पर भूखण्ड संख्या बी–102 विनिमय करने का निर्णय लिया गया। जिसका विनिमय पत्र दिनांक 29.03.12 को जारी किया गया। किन्तु भूखण्ड संख्या बी–102 पूर्व में ही श्रीमती कृष्णा देवी भूखमारिया को आवंटन किया जा चुका था। अतः विनिमय पत्र दिनांक 29.03.12 को वापस लिया गया। उपायुक्त जोन–12 द्वारा भूखण्ड संख्या ए–153 क्षेत्रफल 162.00 के स्थान पर भूखण्ड संख्या ए–68 क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर (9 मीटर सड़क) या सी–200 क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर (12 मीटर सड़क) में से एक भूखण्ड के विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या ए–153 के स्थान पर भूखण्ड संख्या ए–68, सी–200 प्रत्येक क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया। अधिक चौड़ाई की सड़क पर भूखण्ड आवंटन होने पर नियमानुसार आनुपातिक अतिरिक्त चार्जेज वसूल किया जावें।
23.	12	144:23	श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री रामकिशन सिंह को हाथोज समूह योजना के भूखण्ड संख्या सी–95 क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर कोर्ट/नाले से प्रभावित होने से विनिमय में अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि हाथोज समूह आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या सी–95 क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर का आवंटन श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री रामकिशन सिंह को किया गया था। किन्तु मौके रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड कोर्ट/नाले से प्रभावित होने के कारण कब्जा नहीं दिया जा सका। उक्त योजना मे समान माप का नॉन कॉर्नर कोई भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा समान माप का भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने से 136 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन हेतु निवेदन किया है। अतः उपायुक्त द्वारा हाथोज समूह आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या सी–95 के स्थान पर नॉन कॉर्नर उपलब्ध भूखण्ड संख्या ए–185 से ए–188, बी–47 से बी–57, बी–89 से बी–96, बी–99 से बी–106, बी–109 से बी–118, बी–121 से 131, बी–134 से बी–145, बी–148 से बी–155 प्रत्येक क्षेत्रफल 136 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या सी–95 के स्थान पर प्रस्तावित उक्त 136 वर्गमीटर के भूखण्डों में से एक नॉन कॉर्नर भूखण्ड जरिये लॉटरी विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
24.	12	144:24	अखिल भारतीय बलाई महासभा (रजि.) इंडिया को बलाई समाज की बालिकाओं को शिक्षा के लिये कोचिंग सेन्टर एवं छात्रावास हेतु ग्राम भांकरोटाकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 840 रकबा 2.21 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा अखिल भारतीय बलाई महासभा (रजि.) इडिया को बलाई समाज की बालिकाओं को शिक्षा के लिये कोचिंग सेन्टर एवं छात्रावास हेतु ग्राम भांकरोटाकला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 840 रकबा 2.21 हैक्टेयर किरम चरागाह में से 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा संस्था को आवंटन हेतु पात्र माना है। उक्त भूमि में बासडी कच्ची बस्ती, स्कूल एवं पी.एच.ई.डी. को 1000 वर्गमीटर आवंटन के उपरान्त 1500 वर्गमीटर भूमि खाली उपलब्ध है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति में उक्त उद्देश्य हेतु भूमि आवंटन का प्रावधान व मापदण्ड निर्धारित नहीं है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर संस्था को कोचिंग सेन्टर एवं छात्रावास हेतु ग्राम भांकरोटकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 840 में से 1500 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने की अभिशंषा सहित प्रकरण निर्णयार्थ राज्य सरकार को

				भिजवाने का निर्णय लिया गया।
25.	12	144:25	श्री बाबू लाल यादव पुत्र श्री गोरधनराम को जविप्रा की रजत विहार योजना के भूखण्ड संख्या बी–288 क्षेत्रफल 252.00 वर्गमीटर के स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय करने बाबत।	श्री बाबू लाल यादव पुत्र श्री गोरधनराम को जविप्रा की रजत विहार योजना में 18 मीटर सड़क पर भूखण्ड संख्या बी–288 क्षेत्रफल 252.00 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। भूखण्ड अतिक्रमण से प्रभावित होने के कारण प्रार्थी को भौतिक कब्जा नहीं संभलाया जा सका। अतः उपायुक्त जोन–12 द्वारा प्रश्नगत योजना में समान क्षेत्रफल व समान सड़क का अन्य कोई भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण 12 मीटर सड़क पर भूखण्ड संख्या सी–197 क्षेत्रफल 252.00 वर्गमीटर विनिमय किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या बी–288 के स्थान पर समान माप व समान चौड़ाई की सड़क पर स्थित भूखण्ड सी–197 विनिमय करने का निर्णय लिया।
26.	9	144:26	राजस्थान गुर्जर महासभा जयपुर को सामुदायिक भवन हेतु जविप्रा की आवासीय योजना निलय कुंज के संस्थानिक भूखण्ड संख्या आई–5 क्षेत्रफल 3365.21 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	राजस्थान गुर्जर महासभा जयपुर द्वारा सामुदायिक भवन हेतु 10000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु आवेदन किया है। उपायुक्त जोन–9 द्वारा राजस्थान गुर्जर महासभा जयपुर को सामुदायिक भवन हेतु जविप्रा की आवासीय योजना निलय कुंज के संस्थानिक भूखण्ड संख्या आई–5 क्षेत्रफल 3365.21 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा संस्था को आवंटन हेतु पात्र माना है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत सामुदायिक भवन हेतु अधिकतम 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर संस्था को सामुदायिक केन्द्र हेतु निलय कुंज योजना के भूखण्ड संख्या आई–5 क्षेत्रफल 3365.21 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने की अभिशंषा सहित प्रकरण अनुमत भूमि के अधिक भूमि आवंटन के निर्णयार्थ राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक में निम्नांकित अतिरिक्त एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–				
27.	2	144:26(1)	मयूर ग्रुप हाउसिंग एवं सरगम ग्रुप हाउसिंग को विद्याधर नगर योजना में पूर्व में आवंटित भूखण्डों के बदले विनिमय में सेक्टर नम्बर–6 में प्रत्येक भूखण्ड का क्षेत्रफल 724.72 वर्गमीटर को विनिमय में दिये जाने बाबत।	एलपीसी की 132वीं बैठक दिनांक 14.03.17 में उपायुक्त के प्रस्तावानुसार पी.डब्ल्यू.सी. में उक्त भूखण्डों के सृजन की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में भूखण्ड संख्या 7/2डी–1 क्षेत्रफल 724.725 व.मी. के स्थान पर भूखण्ड संख्या 4/एच/I/ए क्षेत्रफल 724.72 व.मी. एवं भूखण्ड संख्या 7/2डी–3 क्षेत्रफल 724.725 व.मी. के स्थान पर भूखण्ड संख्या 4/एच/I/बी क्षेत्रफल 724.72 व.मी. विनिमय करने का निर्णय लिया गया था। परन्तु उक्त भूखण्डों पर मौके पर अतिक्रमण होने के कारण उपायुक्त द्वारा सेक्टर नम्बर–6 में भूखण्ड संख्या 6/H/II/01 से लगते हुए भूखण्ड क्षेत्रफल 1655.44 वर्गमीटर में से दो भूखण्ड संख्या 6/H/II/02 व 6/H/II/03 प्रत्येक क्षेत्रफल 724.72 वर्गमीटर के सृजित किये जाकर विनिमय हेतु प्रस्तावित किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एलपीसी की 132वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 132:2 को निरस्त कर उपायुक्त के प्रस्तावानुसार में लिये गये मयूर ग्रुप हाउसिंग एवं सरगम ग्रुप हाउसिंग को विद्याधर नगर योजना में पूर्व में आवंटित भूखण्डों के बदले सेक्टर नम्बर–6 के नवसृजित भूखण्ड संख्या 6/H/II/02 व 6/H/II/03 प्रत्येक क्षेत्रफल 724.72 वर्गमीटर (पी.डब्ल्यू.सी से अनुमोदन की प्रत्याशा में) में से एक–एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय

अति. आयुक्त (पू.भू.नि.)

				लिया गया।
28.	13	144:26(2)	श्री इन्द्र कुमार जैन, श्री महेश कुमार जैन, श्री राजेन्द्र कुमार जैन को ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या बी–256, बी–257, सी–60 कॉर्नर भूखण्ड होने से कॉर्नर चार्जेज लिये जाने है अथवा नहीं के संबंध मे।	उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजण्डा नोट के आधार पर एलपीसी की 123वीं बैठक दिनांक 11.03.16 में श्री इन्द्र कुमार जैन, श्री महेश कुमार जैन, श्री राजेन्द्र कुमार जैन, श्री अशोक कुमार जैन को ट्रांसपोर्ट नगर योजना के भूखण्ड संख्या बी–256, बी–257, सी–60 क्षेत्रफल क्रमशः 195 वर्गमीटर, 195 वर्गमीटर व 195 वर्गमीटर में मौके पर बढ़े रहे क्षेत्रफल क्रमशः 92.50, 92.50 व 62.50 वर्गमीटर क्षेत्रफल का आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। प्रार्थियों को उक्त भूखण्डों का आवंटन मुआवजे के तौर पर निःशुल्क किया गया था। प्रार्थी को खसरा बाईज कुल 8705 वर्गमीटर भूमि आवंटन की जानी थी लेकिन जो भूखण्ड आवंटित किये गये उनका क्षेत्रफल 8430 वर्गमीटर होने से कुल 275 वर्गमीटर भूमि कम आवंटित हुई। जिसमें से बढे हुये क्षेत्रफल 247.5 वर्गमीटर का समायोजन किये जाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि पूर्व में सहवन से भूखण्ड संख्या सी–60 का एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया था। जबकि आवंटी को लॉटरी द्वारा भूखण्ड संख्या डी–60 आवंटन किया गया था। अतः उपायुक्त द्वारा भूखण्ड संख्या सी–60 के स्थान पर भूखण्ड संख्या डी–60 करने व बढ़े हुये क्षेत्रफल की दर के संबंध में कॉर्नर चार्जेज वसूल किये जाने/नहीं किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या सी–60 के स्थान पर डी–60 संशोधित करने व नियमानुसार कॉर्नर चार्जेज वसूल करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभियांत्रिकी–द्वितीय/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन–1 से 14 व पीआरएन (उत्तर–I/II व दक्षिण–I/II), जविप्रा, जयपुर।
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 144वीं बैठक दिनांक 19.07.2018 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री वैभव गालरिया, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री दीपक नंदी, सचिव	सदस्य
3.	श्री ह्रदेश कुमार जुनेजा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
5.	श्री सैयद जैनुद्दीन शाहिद, विशेषाधिकारी (आर.एम.)	विशेष आमंत्रित
6.	श्री राजेश तुलारा, एसटीपी (बीपीसी–एलपी), प्रतिनिधि निदेशक (आयोजना)	सदस्य
7.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, उपायुक्त जोन–2	विशेष आमंत्रित
8.	श्री मनोज कुमार, उपायुक्त जोन–4 व 7	विशेष आमंत्रित
9.	डॉ. सत्य प्रकाश कस्वां, उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित
10.	श्री रामनारायण बड़गुर्जर, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
11.	श्री भागीरथ हावा, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
12.	श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
13.	श्री बी0 सी0 गंगवाल, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
14.	श्री मधुसूदन पालीवाल, उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित
15.	श्रीमती उषा जैन, सलाहकार (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित